UPLL010055462025

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

उपस्थितः– अशोक कुमार सिंह,

आपराधिक निगरानी संख्या 130/2025

शिशुपाल सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष, पुत्र स्व. शिवराज सिंह, निवासी कस्बा व थाना जाखलौन, जिला ललितपुर।

–––––निगरानीकर्ता।

बनाम

1. स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

2. पंकज श्रीवास उम्र करीब 28 वर्ष, पुत्र श्री राजेन्द्र श्रीवास, निवासी प्रशान्ति स्कूल के पास, गांधीनगर ललितपुर, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

––––विपक्षीगण।

निर्णय

1– वर्तमान दाण्डिक निगरानी विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी.डि.)(त्वरित न्यायालय), ललितपुर द्वारा परिवाद संख्या 7585/2021, पंकज श्रीवास बनाम शिशुपाल सिंह, थाना– कोतवाली ललितपुर, जिला–ललितपुर के प्रकरण में पारित तलबी आदेश दिनांकित 31.07.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिशुपाल सिंह को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब किया है।

2– **निगरानी की उत्पत्ति करने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि–**

निगरानी में विपक्षी संख्या 2 पंकज श्रीवास (एतस्मिनपश्चात् संदर्भित परिवादी) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर के न्यायालय में निगरानीकर्ता शिशुपाल सिंह (एतस्मिनपश्चात विपक्षी) को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में तलब कर दण्डित किये जाने हेतु संक्षेप में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके व विपक्षी के मित्रवत संबंध रहे हैं और विपक्षी ने इन्ही संबंधों का हवाला देकर करीब तीन साल पहले अपने भाई के इलाज के लिए विभिन्न तिथियों पर 9,70,000/– रुपये उधार मांगे तथा इलाज के बाद रकम एक वर्ष में अदा करने का वचन दिया। आपसी पारिवारिक संबंध व विपक्षी के भाई की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसने विभिन्न तिथियों पर 9,70,000/– रुपये विपक्षी को दिये। इलाज के दौरान विपक्षी के भाई की मृत्यु हो गयी। विपक्षी ने उधार लिये गये रुपयों को चुकाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। उसने विपक्षी के गहन दुख को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त समय दे दिया। विपक्षी उसके लगातार सम्पर्क में रहा और करीब तीन माह पूर्व जब उसे रुपयों की आवश्यकता हुई तो उसने विपक्षी से रूपया वापस करने के लिए कहा तो विपक्षी ने अगस्त 2021 में रुपया अदा करने के लिए कहा और विश्वास दिलाने के लिए एक चैक संख्या 685288 दिनाँकित 24.08.2021 मुबलिग 9,70,000/– रुपये का स्वयं का हस्ताक्षर बनाते हुए उसे दे दिया। रुपयों की आवश्यकता होने पर उसने उक्त चैक को दिनाँक 24.08.2021 को अपने एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा ललितपुर स्थित अपने खाते में जमा किया, जो बिना भुगतान

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.03.30 10:35:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किये उसे दिनाँक 25.08.2021 को वापस मिला, जिसमें रिमार्क था कि खातेदार का खाता बंद हो चुका है और चैक अनादृत हो गया। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाँक 31.08.2021 को एक नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक विपक्षी के सही पते पर भिजवाया, जो दिनाँक 11.09.2021 को तामील हुआ। नोटिस अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी विपक्षी ने उसका रुपया अदा नहीं किया है।

3– परिवादी ने परिवाद के समर्थन में धारा 200 द.प्र.सं.के बयान में स्वयं का शपथ पत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य में आधार कार्ड की छाया प्रति (7 क), चैक संख्या 685288 की छाया प्रति (8 क), रिटर्न मेमो दिनांकित 24.08.2021 (9 क), धारा 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस की प्रति (10 क), रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति (11 क), नोटिस ट्रैकिंग रिकार्ड की प्रति (12 क), चैक संख्या 685288 की मूल प्रति (15 क/1) एवं रिटर्न मेमो की मूल प्रति (15 क/2) प्रस्तुत किया गया है।

4– परिवादी पंकज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आक्षेपित आदेश से विपक्षी शिशुपाल सिंह को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विपक्षी द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं. 1 उ.प्र. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुन लिया है तथा पत्रावली का परिशीलन किया है।

6– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विद्वान मजिस्ट्रेट ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश में भारतीय सक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अग्राह्य साक्ष्य को आधार बनाकर काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बयान अंतर्गत धारा 200 व 202 द.प्र.सं. की विवेचना नहीं की गई है और परिवादी द्वारा अंतर्गत धारा 202(4) द.प्र.सं. की पैरवी नहीं की, न ही फैहरिस्त गवाहान सूची विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी सं. 2 द्वारा एन.आई. एक्ट के अंतर्गत विधिवत् नोटिस निर्धारित अवधि में नहीं भेजा गया है और न ही निगरानीकर्ता पर किसी भी प्रकार की तामीली हुई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिवादी का दावा अस्पष्ट व अपूर्ण है व निर्धारित प्रारूप पर सभी टिप्पणी अंकित करते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया है। चैक अनादृत होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की बातचीत परिवादी व उसके मध्य नहीं हुई है। परिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज नहीं कराये हैं। मात्र शपथपत्र प्रस्तुत कर देना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 का उल्लंघन है और तलबी आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता ने विपक्षी सं. 1 को कोई चैक नहीं दिया है। निगरानीकर्ता का खाता पूर्व से बंद है। इतनी ज्यादा रकम का एक मुश्त नगद के रूप में लेन–देन हो पाना सम्भव नहीं है। उपरोक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

7– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता का बचाव करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश में तथ्य, विधि या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि या

अनियमितता नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक् परिशीलन के उपरांत आक्षेपित आदेश पारित किया है।

8– मामले में एन.आई. एक्ट की धारा 138 व 142 का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा–

138. खाते में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चैक का अनादरण– जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गये खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चैक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चैक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सके या जुर्माने से, जो चैक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगाः

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक –

(क) वह चैक उसके लिखे जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो;

(ख) बैंक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चैक के लेखीवाल को, असंदत्त चैक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन] के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है; और

(ग) ऐसे चैक का लेखीवाल, चैक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

142. अपराधों का संज्ञान– (1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, चैक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक् अनुक्रम में किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा. अन्यथा नहीं;

(ख) ऐसा परिवाद उस तारीख के एक मासे के भीतर किया जाता है जिसको धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता हैः

परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात् लिया जा सकेगा यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद नहीं करने का पर्याप्त कारण था;

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और विचारण, केवल

किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर–

(क) यदि चैक संग्रह के लिए किसी खाते के माध्यम से परिदत्त किया जाता है, जहां यथास्थिति पानेवाला या सम्यक् अनुक्रम धारक खाता रखता है, बैंक की शाखा स्थित है;

(ख) यदि चैक, पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम धारक द्वारा संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, ऊपरवाल बैंक की शाखा स्थित है, जहां लेखीवाल खाता रखता है।

स्पष्टीकरण. *खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए, जहां चैक, संग्रह के लिए पाने वाले या सम्यक् अनुक्रम धारक के बैंक की किसी शाखा में परिदत्त किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि चैक को बैंक की उस शाखा में परिदत्त किया गया है, जिसमें यथास्थिति पाने वाला या सम्यक् अनुक्रम धारक खाता रहता है।*

9– एन.आई. एक्ट की धारा 138 एवं 142 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि चैक लिखित किये जाने के अन्तर्गत छः माह की अवधि के अन्दर उसे बैंक में प्रस्तुत किया जायेगा। चैक अनादृत होने की स्थिति में अनादरण की सूचना प्राप्ति के एक माह के अंदर चैक लेखीवाल को सूचना देकर चैक में लिखित धनराशि की मांग की जायेगी और लेखीवाल को उक्त सूचना प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि संदाय करने में असफल रहने एक माह के अंदर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में विपक्षी द्वारा परिवादी के हक में दिनाँक 24.08.2021 को चैक संख्या 685288 मुबलिग 9,70,000/– रुपये जारी किया गया है, जो परिवादी द्वारा दिनाँक 24.08.2021 को ही बैंक में प्रस्तुत किया गया और उसी दिनाँक 24.08.2021 को उक्त चैक अनादृत हुआ है। जिस पर परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनाँक 31.08.2021 को नोटिस प्रेषित किया गया है, जो विपक्षी पर दिनाँक 11.09.2021 को डिलीवर्ड हुआ है। दिनाँक 11.09.2021 से पन्द्रह दिवस यानी दिनाँक 26.09.2021 तक की अवधि में विपक्षी द्वारा परिवादी के रुपये वापस नहीं करने पर परिवादी को दिनाँक 26.09.2021 को वादकारण उत्पन्न हुआ। वादकारण उत्पन्न होने के एक माह के अंदर दिनाँक 05.10.2021 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

10– पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि परिवादी पंकज श्रीवास द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षी/निगरानीकर्ता शिशुपाल सिंह को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है। पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य में आधार कार्ड की छाया प्रति (7क), चैक संख्या 685288 की छाया प्रति (8क), रिटर्न मेमो दिनांकित 24.08.2021 (9क), धारा 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत प्रेषित नोटिस की प्रति (10क), रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति (11क), नोटिस ट्रैकिंग रिकार्ड की प्रति (12क), चैक संख्या 685288 की मूल प्रति (15क/1) एवं रिटर्न मेमो की मूल प्रति (15क/2) उपलब्ध है। चैक संख्या 685288 की मूल प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा जाखलौन, जिला ललितपुर का उक्त चैक मुबलिग 9,70,000/–, विपक्षी/निगरानीकर्ता शिशुपाल सिंह द्वारा दिनाँक 24.08.2021 को परिवादी पंकज श्रीवास के पक्ष में जारी किया गया है, जिस पर विपक्षी शिशुपाल सिंह के हस्ताक्षर हैं। परिवादी ने उक्त चैक को एच.डी.एफ.सी. बैंक स्थित खाते में जमा किया है, जो रिटर्न मेमो दिनाँकित 24.08.2021 के अनुसार Account closed के

उल्लेख के साथ वापस कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उक्त चैक संख्या 685288, जब परिवादी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया, तो चैक Account closed की अंकना से साथ अनादृत हो गया।

11– विचारण हेतु आहूत करते समय साक्ष्य का मूल्यांकन उस प्रकार से नहीं किया जाता, जिस प्रकार से मामले के अंतिम निस्तारण के समय गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु किया जाता है। विचारण हेतु आहूत करते समय विचारण न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या धारा–200 व 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो उन्हें विचारण हेतु आहूत किया जाता है।

12– प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षी शिशुपाल सिंह को समुचित धारा में विचारण हेतु तलब किया है। निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में जो भी तर्क/आधार लिये गये है, उनके आधार पर इस स्तर पर तलबी आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है।

13– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय के विचार में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई नियम प्रतिकूलता, विधि विरूद्धता तथा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। तद्नुसार निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सी.डि.)(त्वरित न्यायालय), ललितपुर द्वारा परिवाद संख्या–7585/2021, पंकज श्रीवास बनाम शिशुपाल, थाना कोतवाली, जिला– ललितपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 31.07.2024 की पुष्टि की जाती है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाए। पक्षकार उक्त न्यायालय में दिनाँक 24.04.2026 को पेश हो।

दिनाँकः 30.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर सुनाया गया।

दिनाँकः 30.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।